



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1997/फाल्गुन 10, 1918
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1997/PHALGUNA 10, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 113—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में हिन्दी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, "राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, हिन्दी अधिकारी" भर्ती नियम, 1996 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता :—वह व्यक्ति :—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

सा.का.नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा (संशोधन) नियम, 1997 है।

2. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 के नियम 7 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी कनिष्ठ काल श्रेतमान की सभी रिक्तियां इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।”

[सं. 12019/1/93/बी(ए)]
विजय शर्मा, अवर सचिव

पाठ टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 5-11-1990 में सा.का.नि. 892 (अ) तारीख 5-11-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1. अधिसूचना सं. 12019/1/93-बी.ए. दिनांक 7-4-1996
2. अधिसूचना सं. 12019/1/93-बी.ए./सं. 12019/1/92-बी.ए. दिनांक 23-8-96

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 6th February, 1997

G.S.R.123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990, namely:—

1. These rules may be called the Indian Broadcasting (Programme) Service (Amendment) Rules, 1997.

2. In the Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990, for sub-rule (3) of rule 7, the following shall be substituted, namely:—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), all the vacancies in Junior Time Scale shall be filled by promotion for a period of six years from the date of commencement of these rules.

[No. 12019/1/93/B(A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide G.S.R. 892 (E) dated 5-11-1990 in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3(i) dated 5-11-1990.

1. Notification No. 12019/1/93-B(A) dated 7-4-1996.
2. Notification No. 12019/1/93-B(A)/No. 12019/1/92, dated 23-8-1996.*

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

सांकांनि० 124 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय (भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय (भर्ती और सेवा की शर्तों) संशोधन नियम 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संसदीय कार्य मंत्रालय (भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 1963 में, “ज्येष्ठता” से संबंधित नियम 7 के नीचे, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, यहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी इसमें से कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उन कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

[सं. फा० 3(17)/95-प्रशा०]

श्रीमती सतीश मल्होत्रा, अवर सचिव

पाठ टिप्पणी :—मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में दिनांक 2 दिसम्बर, 1963 को प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद उनमें निम्न संशोधन किए गए :—

1. 1 मई, 1965 को प्रकाशित सांकांनि० संख्या 631
2. 6 जुलाई, 1968 को प्रकाशित सांकांनि० संख्या 1231